बिहार पशु चिकित्सा संघ

कार्यालय – विद्यापति मार्ग, पटना–800001

Email- bvapatna@gmail.com

डॉ० राय चन्द्र पासवान
अध्यक्ष
मो० 9471867310

डॉ० विनोद कुमार मुक्ता
प्रधान महासचिव
मो० 7488601083

पत्रांक- 77

दिनांक- 31.08.2020

महासचिव
डॉ० दिलीप कुमार
मो० 9801881887
उपाध्यक्ष
डॉ० शोभा कुमारी
मो० 7858012676
डॉ० जितेन्द्र कुमार भोला
मो० 6203955586
डॉ० सुधांशु कुमार
मो० 9939365429
डॉ० अंजनी कु० सिन्हा
मो० 9334164261
संगठन सचिव
डॉ० अनिल कुमार निर्झर
मो० 8002460154
कोषाध्यक्ष
डॉ० जितेन्द्र प्रसाद
मो० 9431033631
वित्त सचिव
डॉ० प्रमोदानंद लाल दास
मो० 9431472705
अंकेक्षक
डॉ० विजय प्रसाद मंडल
मो० 9430947979
तकनीकी सचिव
डॉ० सीमु
मो० 9471642606
प्रचार सचिव
डॉ० अंशु कुमार
मो० 9572165500
क्षेत्रीय सचिव
डॉ० सत्य नारायण यादव
मो० 9204908025
डॉ० संजीत कुमार
मो० 7070521479
डॉ० पंकज कुमार
मो० 8178451672
डॉ० करूणा भारती
मो० 9905277744
डॉ० साकेत कुमार
मो० 9471404196
डॉ० राजशेखर
मो० 7979085551
डॉ० निरंजन कुमार
मो० 9162394546
डॉ० उपेंद्र कुमार चौधरी
मो० 7091974830

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री महोदय,
बिहार।

विषय ः–वित्त विभाग द्वारा बिहार पशु चिकित्सा सेवा नियमावली की अनदेखी करने के संबंध में

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के प्राधिकृत समिति के अनुमोदनोपरांत मंत्रीमंडल से अनुमोदित बिहार पशु चिकित्सा सेवा नियमावली की अनदेखी कर वित विभाग द्वारा सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान में पशु चिकित्सको के लिए 4 वेतनमान निर्धारित किया गया हैं। जबकी प्राधिकृत समिति में वित विभाग के भी प्रतिनिधि रहते हैं। पुनः पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग को 4 वेतनमान देने की अनुशंषा के पश्चात निदेशक पशुपालन के पद को गैर संवर्गीय भी वित विभाग द्वारा दर्शाया गया हैं। इस तरह पशुपालन सेवा संवर्ग के लिए केवल 3 वेतनमान है। पुरे बिहार के सभी सेवा संवर्गो में केवल पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के साथ वित विभाग द्वारा ऐसा किया गया हैं जो विद्वेषपूर्ण मानसिकता को परिलक्षित करता है।

इस संबंध में विचारणीय तथ्य यह है कि वित विभाग के संकल्प संख्या 630 दिनांक 21.01.2010 द्वारा **मूल कोटि के पशु चिकित्सको के लिए PB-2, GP-5400** तथा **अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी एवं जिला स्तर के पदाधिकारी को PB-2,GP-4200 को स्वीकृत** किया गया हैं। अपनी इसी गलती को छुपाने के लिए वित विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के प्राधिकृत समिति द्वारा अनुशंसित एवं मंत्री मंडल द्वारा अनुमोदित गजट घोषणा को धता बजाया जा रहा हैं। इस क्रम में आपके द्वारा ज्ञान भवन में दिनांक 28.01.2019 को पशु चिकित्सको के लिए की गई ऐतिहासिक घोषणा को भी धता बता दिया गया है।

सारा पशुपालन चिकित्सा सेवा संवर्ग हमेशा सरकार के योजनाओं को पूर्ण करने में पुरे मनोयोग से साथ रहा है। जिसके कारण राज्य को पुरस्कार भी प्राप्त हुआ हैं। कोविड–19 में भी यह संवर्ग पुरे जी जान से सेवा में संलग्न रहा हैं। फिर भी वित विभाग द्वारा उपरोक्त बताए गए तथ्यों की अनदेखी एवं अपने गलती को छुपाने के लिए पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के साथ अन्यायपूर्ण निर्णय लेना काफी पीड़ा दायक हैं। पशु चिकित्सको के लिए अब एक मात्र आशा की किरण आप हैं।

अतः महोदय से करवद्ध विनती हैं कि पशु चिकित्सों को अपने घोषणा के अनुरुप मानव चिकित्सकों के सामान्य वेतनमान दिलवाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

(डा0 विनोद कुमार मुक्ता)

ज्ञापांक ......77........ / बिप0चि0संघ पटना, दिनांक......31......अगस्त, 2020

प्रतिलिपि – माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय, बिहार, पटना / माननीय मंत्री महोदय, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना / मुख्य सचिव, बिहार / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

अनुलग्नक –यथोक्त।

(डा0 विनोद कुमार मुक्ता)
प्रधान महासचिव